झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश (मानसून) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न बुधवार, दिनांक :– 27 आषाढ़ ,1940 (श0) .... 18 जुलाई, 2018 (ई0) को

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगें :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
✡ 30.	ग्राम–18	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	एन0एच0 की मरम्मति एवं चौड़ीकरण।	ग्रामीण विकास	11.07.18
31.	भ–02	श्री प्रदीप यादव	सी0बी0आई0 जाँच एवं दोषी पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	08.07.18
32.	पथ–15	श्री जानकी प्रसाद यादव	सड़क निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
33.	पथ–05	श्री आलमगीर आलम	सड़क मरम्मति एवं निर्माण।	पथ निर्माण	08.07.18
# 34.	पथ–06	श्री आलोक कु0चौरसिया	शिव नाला पर पुलिया निर्माण	पथ निर्माण	08.07.18
35.	पथ–11	श्री पौलुस सुरीन	अधिकृत भूमि का मुआवजा।	पथ निर्माण	11.07.18
36.	पथ–13	श्री राज कुमार यादव	सड़क का चौड़ीकरण एवं मरम्मति।	पथ निर्माण	11.07.18
37.	पेय–07	श्री पौलुस सुरीन	जलमीनार चालू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता।	11.07.18
38.	न0–02	श्री रवीन्द्र नाथ महतो	सड़क का निर्माण।	नगर विकास	07.07.18
39.	ग्राम–17	श्री साधु चरण महतो	पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को मानदेय।	ग्रामीण विकास	11.07.18
40.	पेय–05	श्रीमती विमला प्रधान	अनुशंसा के आलोक में राशि का उपलब्ध करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.07.18
41.	ग्राम–05	श्री अशोक कुमार	नहर पथ की विशेष मरम्मति।	ग्रामीण विकास	07.07.18
△ 42.	पथ–08	श्री आलोक कु0चौरसिया	सड़क निर्माण।	पथ निर्माण	08.07.18
43.	पेय–03	श्री प्रकाश राम	पेयजल आपूर्ति करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.07.18
✓ 44.	ग्राम–07	श्रीमती सीता सोरेन	गार्डवाल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य एवं विकास	08.07.18

✡ ग्राम-18. ग्रामीण वि० विभाग के पत्रांक- 2056, दि०-13.07.18 द्वारा पथ निर्माण विभाग में स्था० ।
पथ- 06, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 4055, दि०-12.07.18 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्था० ।
△ पथ- 08, पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 4053, दि०-12.07.18 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्था० ।
✓ ग्राम- 07, ग्रामीण वि० विभाग के पत्रांक- 2292, दि०-16.07.18 द्वारा जल संसाधन विभाग को स्था० ।

01	02	03	04	05	06
45.	पेय-04	श्री राधाकृष्ण किशोर	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	08.07.18
46.	ग्राम-23	डॉ0 इरफान अंसारी	पथ की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	11.07.18
47.	पथ-12	श्री प्रकाश राम	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
48.	पथ-03	श्री राम कुमार पाहन	गुंगा नाला पर पुल निर्माण।	पथ निर्माण	07.07.18
49.	न0-06	श्रीमती बबीता देवी	भाड़ा-सह-क्रय के आधार पर फ्लैट उपलब्ध कराना।	नगर विकास एवं आवास	11.07.18
50.	पेय-06	श्रीमती जोबा माझी	शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	11.07.18
51.	ग्राम-01	श्री शशि भूषण सामाड़	पूल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	07.07.18
52.	न0-01	श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता	प्र0 शहरी आ0यो0 के तहत आवास उपलब्ध कराना।	नगर विकास एवं आवास	07.07.18
53.	पेय-02	श्री जगरनाथ महतो	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	07.07.18
54.	ग्राम-13	श्रीमती सीमा देवी	ग्राम सभा के उप समितियों को विकास का दायित्व।	ग्रामीण विकास	11.07.18
55.	ग्राम-09	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा	दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	09.07.18
56.	ग्राम-02	श्री राम कुमार पाहन	सड़क निर्माण एवं दोषियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	07.07.18
57.	पथ-17	डॉ0 इरफान अंसारी	अधूरे पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
58.	पथ-16	श्री जानकी प्रसाद यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
59.	ग्राम-04	श्री कुणाल षड़ंगी	सड़कों की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	07.07.18
60.	ग्राम-03	श्री जगरनाथ महतो	पूल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	07.07.18
61.	न0-03	श्री अशोक कुमार	कोष आवंटन एवं कार्यपालक अभियंता की प्रतिनियुक्ति	नगर विकास एवं आवास	07.07.18
62.	न0-07	श्री चम्पाई सोरेन	तालाब का सौन्दर्यीकरण।	नगर विकास	11.07.18
63.	पेय-08	श्री राजकुमार यादव	जलापूर्ति योजना चालू करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	11.07.18
64.	ग्राम-14	श्रीमती जोबा माझी	संजय नदी पर पुलिया का निर्माण।	ग्रामीण विकास	11.07.18
65.	ग्राम-06	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पथ का कालीकरण एवं सुदृढ़ीकरण।	ग्रामीण कार्य	08.07.18
66.	न0-05	श्री मनोज कुमार यादव	नगर पंचायत बनाने के संबंध में।	नगर विकास	11.07.18
67.	ग्राम-21	श्री केदार हजरा	गैर योजना मद में राशि उपलब्ध कराना।	ग्रामीण विकास	11.07.18
68.	पथ-02	श्री भानु प्रताप शाही	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	07.07.18
69.	पथ-01	श्री अमित कुमार मंडल	कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	07.07.18
70.	पेय-01	श्री भानु प्रताप शाही	पाईप लाईन से जलापूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	07.07.18
71.	पथ-07	श्री फूलचन्द मंडल	सड़क चौड़ीकरण/मरम्मति।	पथ निर्माण	08.07.18
72.	पथ-09	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	सड़क एवं पूल निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
73.	ग्राम-20	श्री चम्पाई सोरेन	सड़क निर्माण	ग्रामीण विकास	11.07.18
74.	भ0-01	श्री अमित कुमार मंडल	दोषियों पर कार्रवाई।	भवन निर्माण	07.07.18
75.	ग्राम-22	श्री सुखदेव भगत	विधवा आवास निर्माण।	ग्रामीण विकास	11.07.18

पथ-12. पथ निर्माण वि0 के पत्रांक-4061, दि0-12.07.18 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में स्था0।
पथ-02, पथ निर्माण वि0 के पत्रांक-4051, दि0-12.07.18 द्वारा ग्रा0 वि0 विभाग/ग्रा0 कार्य में स्था0।
पेय-01, पेयजल स्वच्छता वि0 के पत्रांक-2936, दि0-14.07.18 द्वारा नगर विकास एवं आवास वि0 में स्था0।
पथ-07, पथ निर्माण वि0 के पत्रांक-4052, दि0-12.07.18 द्वारा ग्रा0 विकास/ग्राम कार्य विभाग में स्था0।
पथ-09. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-4056, दि0-12.07.18 द्वारा ग्रामीण विकास/ग्रा0 कार्य विभाग में स्था0।

कृ0पृ030 ..../-

01	02	03	04	05	06
76.	ग्राम-10	श्री बिरंची नारायण	प्रखण्ड के निर्माण के संबंध।	ग्रामीण विकास	09.07.18
77.	ग्राम-11	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	संवेदक को कालीसूची में डालना।	ग्रामीण विकास	09.07.18
78.	न0-04	श्री फूलचन्द मंडल	पथ का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	08.07.18
79.	पथ-18	श्री साधु चरण महतो	एन0एच0-32 हेतु जमीन का अधिग्रहण।	पथ निर्माण	11.07.18
80.	पथ-10	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	ब्रीज का निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
81.	ग्राम-16	श्री आलमगीर आलम	संविदा के आधार पर नियुक्त अभियंताओं की सेवा 60 वर्ष करने एवं बिहार के समरूप वेतन।	ग्रामीण विकास	11.07.18
82.	ग्राम-08	श्री दशरथ गागराई	डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की माँग पूर्ण करना।	ग्रामीण विकास	08.07.18
83.	पथ-14	श्री दशरथ गागराई	सड़क निर्माण।	पथ निर्माण	11.07.18
84.	ग्राम-19	श्री हरिकृष्ण सिंह	सड़क निर्माण एवं मरम्मति।	ग्रामीण विकास	11.07.18
85.	पथ-04	श्री कुणाल षड़ंगी	चालू वित्तीय वर्ष में सड़क मरम्मति एवं चौड़ीकरण।	पथ निर्माण	07.07.18
86.	ग्राम-12	श्रीमती सीमा देवी	पूल का निर्माण	ग्रामीण विकास	11.07.18
87.	ग्राम-15	श्री मनोज कुमार यादव	पी0डब्लू0डी0 रोड की मरम्मति।	ग्रामीण विकास	11.07.18

राँची,
दिनांक- 18 जुलाई, 2018 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)05/2015- 3237 /वि0स0,राँची,दिनांक- 13/07/18

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शरद सहाय) 13/7/18
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2015- 3237 /वि0स0,राँची,दिनांक- 13/07/18

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय एवं अपर सचिव (प्रश्न) को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा0वि0स0(प्रश्न)-05/2015- 3237 /वि0स0,राँची,दिनांक- 13/07/18

प्रतिलिपि :- कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा/समिति,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

शंकर/-

13.07.18

30

मा0, स0वि0स0, श्रीमती गंगोत्री कुजूर द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–18 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के बेड़ो प्रखण्ड के एन0एच0 23 पुरना पानी से लापुंग प्रखण्ड के लापुंग मुख्यालय जो घनी आबादी क्षेत्र है, जिसकी दूरी लगभग 35 कि0मी0 है ; 2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त सड़क जनहित में उपयोगी है एवं उक्त सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे ग्रामीण किसानों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस जनोपयोगी सड़क को मरम्मति एवं चौड़ीकरण करने का विचार रखती है, अगर हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	यह पथ, वर्त्तमान में पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व में नहीं है । इस पथ के विधिवत् हस्तांतरण के उपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर पथ निर्माण की योजना पर आगामी वर्षों में विचार किया जा सकेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–94 / 2018 4115(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3138 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–94 / 2018 4115(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

(31)

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक-18/07/2018 को पूछा जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या-भ0-02 का उत्तर

प्रतिवेदन

क्रम	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि श्री रास बिहारी सिंह, तत्कालीन भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख के तकनीकी सचिव एवं श्री अरविन्द कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख भवन निर्माण विभाग पर भवन निर्माण विभाग में अपने पदस्थापन के दौरान 30 सितम्बर 2013 को डालटेनगंज समाहरणालय भवन का टेंडर निकाला गया था; (प्रभात खबर, दिनांक-24/06/2018)	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक-17.09.2013 को तदेन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा योजना प्राधिकृत समिति हेतु संलेख प्रारूप अनुमोदन तथा विभागीय पत्रांक-1725 दिनांक-03.08.2013 के आलोक में निविदा का प्रकाशन किया गया था जिसे कतिपय कारणों से विभागीय पत्रांक-278(भ) दिनांक-29.01.14 के द्वारा रद्द कर दिया गया। श्री अरविन्द कुमार सिंह, अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग को अधिसूचना संख्या-1005(भ) दिनांक-05/05/2014 द्वारा प्रभारी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग के पद पर पदस्थापित किया गया एवं अधिसूचना संख्या-462(भ) दिनांक-13/03/2015 द्वारा श्री अरविन्द कुमार सिंह को अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त टेंडर योजना विकास और प्रशासनिक स्वीकृति के बिना हीं निकाला गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक-1725 दिनांक-03.08.2013 के आलोक में निविदा का प्रकाशन किया गया था जिसे बिना निविदा निष्पादन के विभागीय पत्रांक-278 (भ) दिनांक- 29.01.14 के द्वारा रद्द कर दिया गया।
3	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद भी पुनः 26 जून 2014 को टेंडर दोबारा निकाला गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। दिनांक- 06.06.14 को तदेन माननीय विभागीय मंत्री द्वारा योजना प्राधिकृत समिति हेतु संलेख प्रारूप अनुमोदन तथा विभागीय पत्रांक-1725 दिनांक-03/08/2013 के आलोक में विभागीय ई-प्रोक्यूरमेंट नोटिस संख्या- BCD/Daltonganj/209/2014-15 दिनांक-25.06.14 द्वारा टेंडर निकाला गया, जिसे विभागीय पत्रांक-1971 (भ) दिनांक- 12.08.14 द्वारा रद्द कर दिया गया।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब दोनों दोषी अभियंताओं के कार्यकाल में निष्पादित सभी टेंडरों का जाँच C.B.I. से कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्थिति उपरोक्त कंडिका-2 एवं 3 में स्पष्ट की गई है।

16/7/2018

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार,
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः-भ0-3-विधायी (ता0प्र0)-20/18..1382(भ) राँची, दिनांकः-16-3-18

प्रतिलिपिः- श्री शरद सहाय, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक-3023 दिनांक-08.07.2018 के संदर्भ में (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/2018

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(32)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री जानकी प्रसाद यादव द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ–15

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री जानकी प्रसाद यावद, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखण्उ G.T. रोड झुरझुड़ी मोड़ से पंचफेरी गैडा, तिलोकरी होते हुए पिपचो चौक P.W.D पथ तक पथ की स्थिति काफी दयनीय है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ जो दो जिलों एवं तीन प्रखण्डों को जोड़ती है इसके निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथ निर्माण का विचाार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	पंचफेरी मोड़ से गैड़ा तक (14.2 कि0मी0) तथा जी0टी0 रोड झुरझुरी मोड़ से ग्राम–झुरझुरी होते हुए जी0टी0 रोड तक (5.5 कि0मी0) पथ मरम्मति कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष पथों के संबंध में बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–690 / 18 ग्रा0का0मा0.........2315..........राँची / दिनांक–.....17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3169, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–690 / 18 ग्रा0का0मा0.........2315..........राँची / दिनांक–.....17-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–690 / 18 ग्रा0का0मा0.........2315..........राँची / दिनांक–.....17-07-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(33)

मा0, स0वि0स0, श्री आलमगीर आलम द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पाकुड़–बरहरवा मुख्य पथ भाया कोटालपोखर एवं बरहरवा लिंक रोड से दिघी तक पथ का हस्तान्तरण वर्ष–2018 में पथ निर्माण विभाग से राष्ट्रीय उच्च पथ में कर दिया गया है, लेकिन वर्णित पथ का राष्ट्रीय पथ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में निर्माण के लिए बनायी गयी प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया गया है ;	पाकुड़–बरहरवा पथ के सुदृढ़िकरण कार्य भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2018–19 के वार्षिक योजना सूची में शामिल है ।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाकुड़–बरहरवा मुख्य पथ भाया कोटालपोखर एवं बरहरवा लिंक रोड से दिघी तक पथ की मरम्मति वित्तीय वर्ष 2018–19 में पथ निर्माण विभाग से कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्ति के पश्चात् कार्य कराया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–80 / 2018 4120(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3021 दिनांक 08.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–80 / 2018 4120(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(34)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–06

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के नवसृजित प्रखण्ड रामगढ़ के ग्राम–बांसडीह खुर्द पंचायत के ग्राम कोकाडू में शिव नाला के पास पुलिया नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में प्रखण्ड कार्यालय से कट जाती है तथा बीमार रोगियों के लाने एवं ले जाने में कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त ग्राम में शिव नाला के पास पुलिया का निर्माण हो जाने से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में पुलिया निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–131 / 2018 / ग्रा0का0 2291 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3019 वि0स0 दिनांक–08.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–131 / 2018 / ग्रा0का0 2291 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–131 / 2018 / ग्रा0का0 2291 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(35)

मा0, स0वि0स0, श्री पौलुस सुरीन द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–11 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कामडारा प्रखण्ड के बाकूटोली से बानो प्रखण्ड मुख्यालय तक पथ का निर्माण शिवालया कन्सट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक । प्रश्नगत पथ का निर्माण मेसर्स विनोद कुमार जैन द्वारा कराया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के निर्माण में ग्राम–टाटी, चन्दन टोली, बारोसेता, कोनसोदे, भिखराटोली, बानो आदि गाँवों के रैयतों को सड़क निर्माण में अधिगृहित भूमि का मुआवजा नहीं मिला है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है ;	स्वीकारात्मक ।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण में अधिगृहित भूमि का मुआवजा देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	स्वीकारात्मक । यह पथ गुमला एवं सिमडेगा जिला में पड़ता है। अतः गुमला जिले के अंतर्गत पथ की चौड़ीकरण हेतु भू–अर्जन से प्रभावित भू–धारियों की कुल भूमि 90.82 एकड़ मुआवजा की कुल राशि 13,99,51,327.00 (तेरह करोड़ निनानबे लाख एकावन लाख तीन सौ सताईस) रूपये भुगतान हेतु भू–अर्जन पदाधिकारी गुमला के द्वारा प्राक्कलन प्राप्त है । सिमडेगा जिले से संबंधित भू–अर्जन का प्रस्ताव (कुल 64.044 एकड़) उपायुक्त, सिमडेगा को समर्पित है । वर्त्तमान में भू–अर्जन का प्रस्ताव का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । ग्रामीणों को जमीन के मुआवजा का भुगतान का कार्रवाई यथाशीघ्र कर लिया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–86 / 2018 4122(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3129 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–86 / 2018 4122(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

(36)

श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–पथ–13 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री राज कुमार यादव, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)**
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा गिरिडीह पथ में बलहारा जमडार से खेरडा मोड़ तक 38 कि0मी0 पथ जर्जर व खंडहर/गढ्ढे में तब्दील हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ के अगल–बगल पचासों गाँव/टोले/पंचायतों के 50,000 (पचास हजार) की बड़ी आबादी को प्रखण्ड मुख्यालय/जिला मुख्यालय के आवागमन का प्रमुख पथ है;	स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि गावां प्रखण्ड कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बड़ी आबादी के लोगो को आवागमन में काफी कठिनाई झेलनी पड़ती है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त पथ का चौड़ीकरण एवं मरम्मतिकरण की प्रशासनिक स्वीकृति देकर चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विषयांकित पथ की मरम्मति के संबंध में बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–692/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2313......राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3166, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–692/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2313......राँची, दिनांक....17.07.18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–692/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...23 13.....राँची, दिनांक....17.07.18

प्रतिलिपि–विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(37)

माननीय श्री पौलुस सुरीन, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं॰ पेय–07 का उत्तर

क्र॰ सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि खूँटी एवं सिमडेगा जिला के तोरपा विधानसभा क्षेत्र में अवस्थित कुल जलमीनारों में बहुतों जलमीनार बंद पड़े हैं।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि पूर्ण किये गये जलमीनार भी कई कारणों से कार्यरत नहीं है, जिससे आम जनताओं को काफी कठिनाई हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक 355 दिनांक 03.04.2018 द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को अपने स्तर से पेयजल संकट दूर करने का निदेश दिया गया है।
3	यदि उपरोक्त खंड़ों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कुल पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रक्रियाधीन जलमीनारों की संख्या बतलाते हुए सभी जलमीनारों को चालू करवाने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खूँटी जिला के तोरपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड तोरपा, रनिया एवं कर्रा में कुल 55 जलमीनार हैं। ये सभी वर्तमान में चालू है। सिमडेगा जिला का केवल बानो प्रखंड तोरपा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ कुल 11 जलमीनार है, जिनमें से 7 चालू है तथा 04 बंद है। इसके अतिरिक्त 02 जलमीनार निर्माणाधीन है। पंचायती राज विभाग के पत्रांक 145 दिनांक 01.02.2018 द्वारा जलापूर्ति योजना के मरम्मति एवं संपोषण का व्यय 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से किये जाने का निदेश है। कार्यपालक अभियंता, असैनिक प्रमंडल, सिमडेगा के कार्यालय पत्रांक 938 दिनांक 06.07.2018 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा को बंद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना को 14वें वित्त एवं जिला में उपलब्ध अन्य निधि से चालू करने हेतु प्राक्कलन तैयार भेजा गया है। राशि प्राप्त होने पर मरम्मति करा जलापूर्ति चालू करा दी जायेगी।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8/वि॰ स॰ (ता॰)–13/2018 पेय॰ –841/SWSM दिनांक 13-7-2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं॰ 3139 वि॰ स॰ दिनांक 11.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/7/18
अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

कृ॰ पृ॰ उ॰

ज्ञापांकः–8 / वि॰ स॰ (ता॰)–13 / 2018 पेय॰– 841/SWSM दिनांक 18-7-2018

प्रतिलिपिः–सरकार के उप सचिव / अवर सचिव (प्र॰ – 5) / विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/7/18

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–02 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची–हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर साकेत विहार के पास एल०–1 से एल०–6 तक सड़क जर्जर है तथा एल–6 के पास बरसात के दिनों में पानी जमा रहता है जिससे कई बार मोटरसाईकिल दुर्घटना एवं वहाँ नागरिकों को काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। राँची नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत क्षेत्र में पथ की स्थिति संतोषजनक है। पथ में कही भी गड्ढ़ा नहीं है। बरसात के मौसम में बारिश होने पर एल–6 के पास कुछ समय के लिये जल जमाव होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि एल०–1 से एल०–6 तक सड़क निर्माण कराने हेतु दिनांक–15.11.2017 को मैंने आपको पत्र लिखा था एवं जिसके आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर आयुक्त, राँची नगर निगम को सड़क निर्माण कराने हेतु निर्देश दिया गया था परन्तु अभी तक निर्माण नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत क्षेत्र के निरीक्षण करने पर पाया गया कि सड़क निर्माण की आवश्यकता नहीं है, अतः इस पर अग्रेतर कार्रवाई नहीं की गयी है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार एल०–1 से एल०–6 तक का सड़क निर्माण कराने का विचार रखती है? हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / न०वि० / तारांकित–27 / 2018 / 3662   **राँची, दिनांकः–** 17/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2967, दिनांक–07.07.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, विभागीय उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.7.18

सरकार के अवर सचिव।

(39)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 18.07.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम– 17 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि संपूर्ण झारखण्ड प्रदेश के पंचायत सचिवालयों में नियुक्त पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक विगत 2–वर्षो से आमजनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण एवं संतोषजनक भूमिका निभाते आ रहे है तथा ये जनता को पंचायत सचिवालय से जोड़ते हुए जनता की सेवा एवं सहयोग करते आ रहे है, परन्तु अब तक इन्हे कोई मानदेय नहीं दिया जाता है जिससे इन्हे समर्पित हो कर अपनी सेवा देने में परेशानी हो रही है;	पंचायत सचिवालय के गठन से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या– 1603 दिनांक 20.05.2016 के आलोक में पंचायत स्वयं सेवक के रूप में कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के क्रम में यह स्पष्ट किया गया था कि इन्हे मासिक मानदेय/परिलब्धि का भुगतान नहीं किया जाएगा। उन्हें कार्य के विरूद्ध प्रोत्साहन/सम्मान राशि दी जायेगी, जिसका निर्धारण कार्य करानेवाला संबंधित विभाग करेगा।
(2) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को मानदेय देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–150/2018–2107–/, राँची, दिनांकः– 16.7.18

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3135 दिनांक 11.07.2018 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–150/2018–2107–/, राँची, दिनांकः– 16.7.18

प्रतिलिपिः– श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0, झारखण्ड, विधान सभा को सूचनार्थ समर्पित ।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

सुनिता/16.07.2018

(40)

माननीया श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० (12) पेय–05 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर :–
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि विधायक कोष से शौचालय निर्माण हेतु प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 50 लाख रू० देने का निदेश है	स्वीकारात्मक झारखण्ड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के संकल्प सं० 943, दिनांक 11.03.2015 के आलोक में प्रत्येक विधायक अपने विधान सभा क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि में से 50 प्रतिशत अर्थात 50 लाख रू० मात्र का अनुशंसा, शौचालय निर्माण हेतु किये जाने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015–16 में विधायक कोष से सिविरिया टाड़ और कुलुकेरा पंचायत को 15–15 लाख वनगॉव कुरूडेग एवं पासमोट के झिकिरमा पंचायत को 10–10 लाख देने की अनुशंसा की गई थी	सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपलब्ध राशि से कुरडेग प्रखण्ड अंतर्गत 77 शौचालय निर्माण हेतु 9.24 लाख रू० एवं 2016–17 में सिमडेगा एवं पाकरटांड़ प्रखण्ड अंतर्गत कुल 249 शौचालय निर्माण हेतु 29.88 लाख रू० कुल 39.12 लाख रू० सिमडेगा प्रमण्डल को उपलब्ध करायी गयी है।
3	क्या यह बात सही है कि राशि की अनुशंसा के उपरांत भी अभी तक कार्य योजना की जानकारी नहीं दी गयी।	अस्वीकारात्मक कार्यपालक अभियंता, सिमडेगा के कार्यालय के पत्रांक 941, दिनांक 07.07.2018 के द्वारा, कराये गये शौचालय निर्माण की सूची विधायक प्रतिनिधि, माननीय विधायक, सिमडेगा विधान सभा क्षेत्र सिमडेगा को सौंपी गयी है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त अनुशंसा के आलोक में कार्य कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	निर्धारित कार्य योजना के अनुरूप निर्धारित ग्रामों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः SBM(G) विधान सभा प्रश्न–22/2018– 1009 राँची, दिनांकः 12/07/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक–3015, दिनांक 07.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.18

(राजेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः SBM(G) विधान सभा प्रश्न–21/18– 1009 राँची, दिनांकः 12/07/2018

प्रतिलिपिः सरकार के उप सचिव/अवर सचिव, (प्रशाखा–5)/विधान सभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.18

सरकार के अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

(41)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री अशोक कुमार द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–05

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री अशोक कुमार, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत घोरीचक से दोगाछी नहर पथ का काफी दिनों पूर्व पी0एम0जी0एस0वाई0 से निर्माण कराया गया था जो सड़क वर्त्तमान में काफी जर्जर स्थिति में है, जिसके कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में आवागमन हेतु मेहरमा प्रखंड अंतर्गत घोरीचक से दोगाछी नहर पथ का विशेष मरम्मति कार्य कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	विषयांकित पथ की मरम्मति हेतु डी0पी0आर0 तैयार करा लिया गया है। बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–660 / 18 ग्रा0का0मा0 2280 राँची / दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2972, दिनांक–07.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–660 / 18 ग्रा0का0मा0 2280 राँची / दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–660 / 18 ग्रा0का0मा0 2280 राँची / दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(42)

श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–08 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री आलोक कुमार चौरसिया, माननीय स०वि०स०	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)**
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के चैनपुर प्रखण्ड अन्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड रामगढ़ हुटार से रामगढ़ होते हुए पलामू जिला मुख्यालय को पी०डब्लू०डी० की सड़क की स्थिति काफी जर्जर है, जिसके कारण आवागमन में आम जनता को कठिनाई हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क की दूरी लगभग 20 कि०मी० है जिसके कालीकरण पथ की मरम्मति कर दिये जाने से कई गाँव की दूरी रामगढ़ प्रखण्ड एवं चैनपुर प्रखण्ड के साथ मुख्यालय से जुड़ जायेगा जिसमें ग्रामीणों को आने–जाने में यह सड़क सुलभ होगी ;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण जनहित में कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ का 11 कि०मी० का पथांश कार्य प्रमण्डल, डाल्टेनगंज के अधीन है जिस पर प्राथमिकी दर्ज है। पथ में कार्य करने हेतु पुलिस अधीक्षक, पलामू से अनापत्ति की मांग की गयी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–689 / 18 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......2279......राँची, दिनांक 16-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा०वि०स० को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3022, दिनांक–08.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–689 / 18 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......2279......राँची, दिनांक......16-07-18

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–689 / 18 ग्रा०वि०वि०(ग्रा०का०मा०)......2279......राँची, दिनांक......16-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

श्री प्रकाश राम, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–03 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		**श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–**
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत बालूमाथ प्रखण्ड का ग्राम– भगिया में जल श्रोत अत्यंत नीचे चले जाने के कारण एक भी चापाकल/कूप में पानी नहीं आ रही है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को घोर पेयजल संकट से जुझना पड़ रहा है;	वस्तु स्थिति यह है कि लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत – भगिया के ग्राम – भगिया की कुल आबादी 2242 है। उक्त ग्राम में कुल 12 टोले है। उक्त ग्राम में कुल 26 अदद् चापाकल, 01 अदद् HYDT एवं 01 अदद् लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से ग्रामीणों को जलापूर्ति की जाती है, किन्तु हरिजन टोला एवं यादव टोला में 04 अदद् चापाकल अधिष्ठापित है, जो गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण अकार्यारत हो जाते है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 350 मी० की दूरी पर स्थित जमुनिया टॉड टोला में स्थित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि ग्राम भगिया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति बहुल्य ग्राम है;	ग्राम भगिया में 2011 जनगणना अनुसार 2242 की आबादी है जिसमें अनुसूचित जाति की आबादी 1452 तथा अनुसचित जनजाति 710 है।
3.	अगर उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पाईप–लाईन जलापूर्ति योजना का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बालुमाथ प्रखण्ड के ग्राम भगिया घनी जनसंख्या का पंचायत मुख्यालय ग्राम है। इस ग्राम में पाईप जलापूर्ति योजना के लिए 4 कि०मी० की दुरी पर दामोदर नदी अवस्थित है जिससे पेयजलापूर्ति हेतु योजना निर्माण के निमित्त प्रस्ताव तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–102/2018– 2946 राँची, दिनांक :– 16/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 3014, दिनांक – 08.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–102/2018– 2946 राँची, दिनांक :– 16/7/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

16/07/18

मानननीय श्री राधाकृष्ण किशोर, स॰ वि॰ स॰ द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं॰ पेय–04 का उत्तर

क्रम सं॰	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–	श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, मेदिनीनगर अंतर्गत सोलर लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के 59 योजनाओं के खराब हो जाने के कारण ग्रामीण जलापूर्ति बंद है, परिणाम स्वरूप 59 गाँवों में पेयजल की घोर समस्या हो गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है खंड–1 में वर्णित खराब पड़े 59 ग्रामीण लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पुनरूत्थान के लिए कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, मेदिनीनगर ने दिनांक 06.02.2018 को 74 लाख 94 हजार रूपये का प्राक्कलन तैयार कर राशि की माँग विभाग से किया है?	पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, मेदिनीनगर के कुल 59 ग्रामों में 59 सोलर लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया गया था, जो सोलर पैनल चोरी, मोटर पंप एवं स्टार्टर खराब होने एवं पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में बंद है। दिनांक 21.12.2017 को जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में लिये गये निर्णय एवं विभागीय सचिव का पत्रांक 1245 दिनांक 19.03.2018 के अलोक में सोलर आधारित बंद पड़े लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना को मरम्मति कर चालू करने हेतु योजनावार प्राक्कलन तैयार कर 14वें वित्त आयोग की राशि से मरम्मति हेतु प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, मेदिनीनगर कार्यालय का पत्रांक 241 दिनांक 06.02.2018 के द्वारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी पलामू को भेजी गयी! उक्त के आलोक में कुल 9 अद्द योजनाओं के लिए राशि प्राप्त हुई है, जिसमें पाँच अद्द योजनाओं का निविदा कर मरम्मति कराते हुए चालू कर दिया गया है एवं शेष का निविदा आमंत्रित की गयी है। जैसे – जैसे राशि प्राप्त होगी योजनाओं को मरम्मति कराकर चालू कर दिया जायेगा। वर्तमान में उक्त सभी ग्रामों में नलकूपों द्वारा पेयजलापूर्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानक के अनुसार सभी 59 ग्रामों की जनसंख्या चापाकलों से पूर्णतः आच्छादित है।

कृ॰ पृ॰ उ॰

3.	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष में खंड–2 में वर्णित राशि उपलब्ध कराकर बंद पड़े 59 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का पुनरुत्थान करना चाहती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तदैव।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः 8 / वि. स. (ता.)–04 / 2018 पेय.-837/SWSM दिनांक 12-7-2018
प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 3013 वि. स. दिनांक 08.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.18

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–8 / वि. स. (ता.)–04 / 2018 पेय.-837/SWSM दिनांक 12-7-2018
प्रतिलिपिः–सरकार के उप सचिव / अवर सचिव (प्र. – 5) / विधानसभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.18

अवर सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

46

डॉ0 ईरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग्राम–23 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ0 ईरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित पथों की मरम्मति नहीं होने से आवागमन बाधित रहता है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि रानीटांड़ गोपालपुर से डुमरिया भाया कठबरारी पथ, ढेंकीपाड़ा मोड़ से कोलपाड़ा, पिपला मोड़ से पिपला ग्राम पथ, पबिया से कसियाटांड़ पथ, अमोई से मुर्गा टोना पथ और सिन्दरी से जगवाडीह पथ जर्जर अवस्था में होने से आवागमन पूरी तरह से बाधित है एवं छात्र–छात्राओं को साईकिल से भी चलने में कठिनाईयाँ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्त पथों का मरम्मत करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–683 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2312.......राँची, दिनांक....17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3161, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–683 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......2312...राँची, दिनांक....17-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–683 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2312.......राँची, दिनांक....17-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(47)

श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–12 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री प्रकाश राम, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला अन्तर्गत लातेहार सेन्ट्रल विद्यालय से रिचूघूटा भाया मोंगर, निंदिर, पेशरार कुल 17 कि0मी0 पथ घनी आबादी वाला क्षेत्र के अन्तर्गत आता है ;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ नवनिर्मित पथ NH-75 सिकनी से रिचूघूटा पथ में जुड़ जायेगी जिससे ये घनी आबादी वाले ग्राम NH-75 से दोनों ओर जुड़ जायेगें, जिससे आवागमन में स्थानीय लोगों को सुविधा होगी ;	स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विषयांकित पथों के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–686 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2311..........राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3128, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–686 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2311..........राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–686 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2311..........राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्ड़लीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 / (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(48)

मा0, स0वि0स0, श्री राम कुमार पाहन द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत 10 वर्ष पूर्व निर्मित हाहे से राहे सड़क पर गुंगा नाला नदी पर पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार होने के बावजूद अबतक प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है ; 2. क्या यह बात सही है कि उक्त सड़क के गुंगा नाला में पुल का निर्माण नहीं होने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क के गुंगा नाला पर पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष–2018–19 में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	हाहे से राहे सड़क पर गुंगा नाला नदी पर पुल निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । भू–अर्जन एवं वन भूमि के क्लीयरेंस की प्रक्रिया सामानान्तर रूप से की जा रही है । निविदा निस्तार के उपरांत पुल निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–78 / 2018 4116(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2980 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–78 / 2018 4116(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(49)

श्रीमती बबीता देवी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–06 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के ससबेड़ा पूर्वी पंचायत में झारखण्ड राजय आवास बोर्ड के लगभग 1010 मकान/0182 फ्लैट 40 वर्ष पूर्व बने है, जिनका क्षेत्रफल लगभग 500 से 1500 वर्ग फीट हैं, जो काफी जर्जर स्थिति में है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। बोकारो जिला अन्तर्गत गोमिया में झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के विभिन्न आय वर्ग के कुल 1010 मकान/फ्लैट निर्मित हैं, जो 40 वर्ष पूर्व निर्मित हैं, जिसका क्षेत्रफल 428 से 2800 वर्गफीट है।
2.	क्या यह बात सही है कि आवास विभाग की अधिसूचना संख्या–1817, दिनांक–17.03.2017 के आलोक में अवैध रूप से आवासित लोगों को भाड़ा–सह–क्रय के आधार पर कैटेगरी वाइज एवं दण्ड सहित मकान की ऑपबंधिक कीमत दिनांक–31.08.2017 तक न्यूनतम 8,78,402 रू० से अधिकतम 48,04,567 रू० तक रखी गई है जो मकान/फ्लैट की जर्जर स्थिति एवं क्षेत्रफल के आधार पर काफी अधिक है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त मकान/फ्लैट की कीमत कम करते हुए आवासित लोगों को भाड़ा–सह–क्रय के आधार पर देने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	सम्प्रति विभाग स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड से तत्संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने पर समुचित कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–7/न०वि०आ०/तारा०–08/2018......3661........ राँची, दिनांकः...17/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं० प्र० 3140 वि०स०, दिनांक–11.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में/श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(50)

माननीया श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० -

पेय–06 का उत्तर :–

<table>
<tr><td>क्र०</td><td>क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिये जाने वाले उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत खुँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा–कोटसोना के निम्नलिखित टोला में सार्वजनिक सुलभ शौचालय–सह–स्नानागार की व्यवस्था अब तक नहीं किया गया है,
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>टोला</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>1</td><td>मराजरोम</td><td>1</td><td>2381</td><td>0.05डि०</td></tr>
<tr><td>2</td><td>तोन्डागसाई</td><td>1</td><td>2272</td><td>0.05डि०</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुण्डासाई</td><td>1</td><td>1590</td><td>0.05डि०</td></tr>
<tr><td>4</td><td>कुजरीसाई</td><td>1</td><td>1566</td><td>0.05डि०</td></tr>
<tr><td>5</td><td>बिंगटूसाई</td><td>1</td><td>1921</td><td>0.05डि०</td></tr>
</table>
</td><td>उक्त प्रश्न के आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा के द्वारा वर्णित स्थलों की जाँच की गई। जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–
1. मराजरोम टोला में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु परती जमीन उपलब्ध है परन्तु यहाँ कोई बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक स्थल इत्यादि नहीं है इसलिए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना उपयुक्त नहीं है। उक्त टोला में मात्र 7 घर है, बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार लक्ष्य शून्य था। लाभुकों द्वारा वार्ता के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए इच्छुक है एवं सबों के पास व्यक्तिगत शौचालय के लिए जगह उपलब्ध है। इस टोला में DMFT मद से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।
2. तोन्डागसाई टोला में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु परती जमीन उपलब्ध है परन्तु यहाँ कोई बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक स्थल इत्यादि नहीं है इसलिए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना उपयुक्त नहीं है। उक्त टोला मे लगभग 60–70 घर है, बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार लक्ष्य शून्य था। लाभुकों द्वारा वार्ता के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए इच्छुक है एवं सबों के पास व्यक्तिगत शौचालय के लिए जगह उपलब्ध है। इस टोला में DMFT मद से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।
3. मुण्डासाई टोला में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु परती जमीन उपलब्ध है परन्तु यहाँ कोई बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक स्थल इत्यादि नहीं है इसलिए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना उपयुक्त नहीं है। उक्त टोला में लगभग 100 घर है, बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार लक्ष्य शून्य था। लाभुकों द्वारा वार्ता के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए इच्छुक है एवं सबों के पास व्यक्तिगत शौचालय के लिए जगह उपलब्ध है। इस टोला में DMFT मद से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है।
4. कुजरीसाई टोला में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु परती जमीन उपलब्ध है परन्तु यहाँ कोई बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक स्थल इत्यादि नहीं है इसलिए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना उपयुक्त [illegible] है। उक्त टोला में [illegible] है, [illegible] सर्वे 2012 के अनुसार लक्ष्य शून्य था। लाभुकों द्वारा वार्ता के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए इच्छुक है एवं सबों के पास व्यक्तिगत शौचालय के लिए जगह उपलब्ध है। इस</td></tr>
</table>

		टोला में DMFT मद से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है। 5. बिंगगुटूसाई टोला में सामुदायिक शौचालय बनाने हेतु परती जमीन उपलब्ध है परन्तु यहाँ कोई बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक स्थल इत्यादि नहीं है इसलिए यहाँ सामुदायिक शौचालय बनाना उपयुक्त नहीं है। उक्त टोला में लगभग 50 घर है, बेसलाईन सर्वे 2012 के अनुसार लक्ष्य शून्य था। लाभुकों द्वारा वार्ता के दौरान पाया गया कि सभी व्यक्तिगत शौचालय के लिए इच्छुक है एवं सबों के पास व्यक्तिगत शौचालय के लिए जगह उपलब्ध है। इस टोला में DMFT मद से व्यक्तिगत शौचालय निर्माण करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त वर्णित सभी जमीन ग्राम के मुण्डा श्री चन्दन होनहागा जी के अधीन है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में वर्णित टोला, खाता सं०, प्लॉट सं० एवं रकबा में सार्वजनिक सुलभ–शौचालय सह स्नानागार का निर्माण अविलम्ब कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशा निदेशिका के पारा 6.8 के अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण वैसी जगहों पर किया जाना है जहाँ व्यक्तिगत शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है एवं वैसी जगह पर प्राथमिकता दी जाती है जहाँ सामुदायिक जुटाव हो, जैसे बस स्टैण्ड, हाट, बाजार, देव स्थल इत्यादि। उक्त ग्राम/टोला के योग्य परिवारों में व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण DMFT मद से कराने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक: SBM(G) विधान सभा प्रश्न–23/2018– 1016 राँची, दिनांक: 16/07/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक–3126, दिनांक 11.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

(राजेश कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: SBM(G) विधान सभा प्रश्न–23/2018– 1016 राँची, दिनांक: 16/07/2018

प्रतिलिपि: सरकार के उप सचिव/अवर सचिव, (प्रशाखा–5)/विधान सभा कोषांग के प्रभारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.7.18

सरकार के अवर सचिव

(517)

श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–01

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री शशि भूषण सामाड़, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बन्दगाँव प्रखण्ड के कराईकेला NH–75 को जोड़ने वाली बारडीह स्थित विजय नदी पर बना पुल एवं चक्रधरपुर प्रखण्ड में गुड़ासाई (टॉयबो) स्थित विजय नदी पर पुल जर्जर हो चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुलों के जर्जर होने के कारण कभी भी ध्वस्त हो सकता है और इससे बड़ी दुर्घटना के कारण जान–माल की भारी क्षति हो सकती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नया पुल निर्माण शीघ्र कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुलों की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–124 / 2018 / ग्रा0का0 2289 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2971 वि0स0 दिनांक–07.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–124 / 2018 / ग्रा0का0 2289 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–124 / 2018 / ग्रा0का0 2289 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(52)

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–नं०–01 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत में सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति एवं अन्य भूमिहीन परिवार निवास करते है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है;	स्वीकारात्मक है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत तैयार किए गए Housing for All Plan of Action के अनुसार नगर पंचायत, हुसैनाबाद क्षेत्र अंतर्गत आवासहीन परिवारों की संख्या 299 है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अन्य परिवार (भूमिहीन) जो नगर पंचायत हुसैनाबाद में रहते है, वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जिसके कारण अपना स्थायी निवास नही बना पाये है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन्हें जमीन उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास बनवाकर यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम घटक ("स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास") (ISSR) अंतर्गत हुसैनाबाद नगर पंचायत के 299 आवासहीन शहरी गरीब लाभूकों को आवास उपलब्ध कराने हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवासों की स्वीकृति तथा आवास निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / न०वि० / तारांकित–28 / 2018 / 3655 **राँची, दिनांकः**–17/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2965, दिनांक–07.07.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 17-7-18

सरकार के अवर सचिव।

Rakesh/E/Vidhan Sabha 2018/28

श्री जगरनाथ महतो, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–02 का उत्तर :–

<table>
<tr><th colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</th><th>श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड में पेयजल की काफी समस्या है एवं वर्णित नावाडीह प्रखण्ड के ग्राम पंचायत–पेंक, गोनिभाये, काच्छो एवं कंजकिरो में पेयजल के लिए ग्रामीणों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है;</td><td>वस्तु स्थिति यह है कि बोकारो जिलान्तर्गत नवाडीह प्रखण्ड में जलापूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :–
<table><tr><th>क्र०</th><th>पंचायत</th><th>आबादी</th><th>चालू नलकूप</th></tr><tr><td>1.</td><td>पेंक</td><td>8017</td><td>42</td></tr><tr><td>2.</td><td>गोनियाटो</td><td>5563</td><td>33</td></tr><tr><td>3.</td><td>काच्छो</td><td>5436</td><td>37</td></tr><tr><td>4.</td><td>कंजकिरो</td><td>6784</td><td>69</td></tr></table>ग्राम पेंक के बाजारटांड़, सी०आर०एफ० योजना अन्तर्गत लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना चालू है। ग्राम काच्छो के बुंडगढ़ा टोला, कंजकिरो के डुमरिया टांड़ में आई०ए०पी० योजना अन्तर्गत लघु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना चालू है अतः उपरोक्त चारों पंचायतों में नलकूप एवं लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से अच्छादित है। पेयजल की समस्या नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित पंचायत पेंक, गोनिभाये, काच्छो एवं कंजकिरो के लिए जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्रदान कर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?</td><td>वर्णित पंचायतों में जलापूर्ति योजना हेतु (1) पेंक, गोनियाटो एवं काच्छो ग्रामीण जलापूर्ति योजना एवं (2) कंजकिरो, बरई एवं नारायणपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना की डी०पी०आर० निर्माण का कार्य प्रगति में है। डी०पी०आर० निर्माण के उपरान्त संसाधन की उपलब्धता एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर भविष्य में योजना निर्माण पर विचार किया जा सकता है।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–101/2018– 2945 राँची, दिनांक :– 16/7/18

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 2968, दिनांक – 07.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–101/2018– 2945 राँची, दिनांक :– 16/7/18

प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

16/7/18

54

श्रीमति सीमा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 18.07.2018 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– ग्राम– 13 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य पंचायती राज अधिनियम 2001 (10 b) के तहत ग्राम सभा में आठ उप समितियों का गठन गाँवों के विकास हेतु किया गया है। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वारा भी अधिकारों का वितरण किया गया है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा (10 b) के अनुसार ग्राम सभा (10 (1) क) में वर्णित कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कुल 8 स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।
(2) क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प सं0– 809, दिनांक 13.03.2018 के द्वारा सभी रेवेन्यु गाँवों में ग्राम विकास समिति एवं आदिवासी एवं विकास समिति का गठन किया गया है;	स्वीकारात्मक।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित संस्थाओं का विकास कार्यो का दायित्व सौंपते हुए खण्ड (2) में वर्णित समिति को भंग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति का गठन ग्रामीण विकास में जन–जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से किया गया है। समिति के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा कराई जाने वाली स्थानीय महत्व की छोटी–छोटी कच्ची योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाना हैं। पंचायत के स्थायी समितियों के कर्त्तव्य एवं दायित्व तथा आदिवासी विकास समिति/ग्राम विकास समिति के कर्त्तव्य एवं दायित्व भिन्न है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–151/2018–2108–/, राँची, दिनांकः–16.7.18

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3131 दिनांक 11.07.2018 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–151/2018–2108–/, राँची, दिनांकः–16.7.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–151/2018–2108–/, राँची, दिनांकः–16.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/7/18

सरकार के अवर सचिव

सुनिता/12.07.2018

(55)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० प्रो0 जय प्रकाश वर्मा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–09

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	प्रो0 जय प्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०सं०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि NREP गिरिडीह द्वारा गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र का कार्य विधायक मद से सम्पादित किया जाता है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि NREP गिरिडीह के कनीय अभियंता सहेन्द्र कुमार शारीरिक .और मानसिक रूप से सक्षम नहीं है जैसा की उन्होने NREP के कार्यालय अभियंता को स्वयं लिख कर दिया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या बात सही है कि NREP गिरिडीह के कार्यपालक अभियंता रामाश्रय शर्मा और JE सहेन्द्र कुमार द्वारा विधायक मद की विकास योजनाओं को करने का एवज में लाभुक समितियों को बार–बार भिन्न–भिन्न बहाना बनाकर लौटाया जाता है;	विषयांकित मामले में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), कार्य अंचल, गिरिडीह से जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कार्यपालक अभियंता रामाश्रय शर्मा व अभियंता सहेन्द्र कुमार पर सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने हेतु दोनों को दण्डित करने की मंशा रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), कार्य अंचल, गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के फलाफल के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–665 / 18 ग्रा0का0मा0 2317 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3051, दिनांक–09.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–665 / 18 ग्रा0का0मा0 2317 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–665 / 18 ग्रा0का0मा0 2317 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

56

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री रामकुमार पाहन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–02

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री रामकुमार पाहन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ओरमांझी प्रखण्ड स्थित हजारीबाग रोड पुन्दाग से मनातु होते हुए बरतुवा तक बननेवाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना दो साल पहले शुरू हुआ था लेकिन अधूरा कार्य कर छोड़ दिया गया है जिससे उक्त सड़क अधूरा रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने एवं संलिप्त अधिकारी तथा संवेदक पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	वर्णित पथ का डब्लू0बी0एम0 (मेटल वर्क) प्रगति पर है। माह सितम्बर–2018 तक विषयांकित पथ को पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–659 / 18 ग्रा0का0मा0 2283 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–2974, दिनांक– 07.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–659 / 18 ग्रा0का0मा0 2283 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–659 / 18 ग्रा0का0मा0 2283 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(57)

मा0, स0वि0स0, श्री इरफान अंसारी द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला अंतर्गत लहरजोरी से जामताड़ा पथ पर संवेदक द्वारा पत्थर बिछाकर वर्षों से छोड़ दिया गया है फलस्वरूप यह पथ अधूरा है तथा दुर्घटना कारक है ; 2. क्या यह बात सही है कि विभाग की लापरवाही के कारण लोगों में भारी आक्रोश है ; 3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधूरे पथ को अविलंब एक समय सीमा के अंतर्गत पूरा करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	पथ प्रमण्डल, जामताड़ा अंतर्गत जामताड़ा–करमाटॉड़–लहरजोरी पथ के कि0मी0 0.00 से 29.175 कि0मी0 तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुर्ननिर्माण कार्य संवेदक मेसर्स के0सी0पी0एल0 हैदराबाद द्वारा कराया जा रहा है । भू–अर्जन एवं यूटिलिटी शिपिटिंग के विलम्ब के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है । दिसम्बर 2018 तक कार्य को पूर्ण कराने का संशोधित लक्ष्य है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–92 / 2018 4119(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3168 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–92 / 2018 4119(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपि:– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

(59)

दिनांक—18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री कुणाल षड़ंगी द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम—04

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री कुणाल षड़ंगी, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि विगत 10 वर्षों से पी0एम0जी0एस0वाई0 / राज्य संपोषित के तहत् (1) एन0एच0—6 खण्डामोदा से मालुआ रोड (2) पाटपुर से बंगाल सीमा तक सड़क (3) एन0एच0—33 महुली से कोटुशोल होकर भालुकखुलिया तक सड़क (4) एन0एच0—6 दारीसोल से रामचन्द्रपुर तक सड़क (5) मोहनपुर से कोइमी होकर वेलागड़िया तक सड़क का आज तक मरम्मतिकरण नहीं होने के कारण चलने लायक नहीं रह गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपर्युक्त सड़कों का मरम्मति कराकर चलने लायक बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

मा०)

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक—05 (वि0स0—12)—656 / 18 ग्रा0का0मा0......2278......राँची / दिनांक—16-07-18

प्रतिलिपि—अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक—2973 दिनांक—07.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—05 (वि0स0—12)—656 / 18 ग्रा0का0मा0......2278......राँची / दिनांक—16-07-18

प्रतिलिपि—मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—05 (वि0स0—12)—656 / 18 ग्रा0का0मा0......2278......राँची / दिनांक—16-07-18

प्रतिलिपि—प्रशाखा—5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(60)

श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–03

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जगरनाथ महतो, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1 क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत चन्द्रपुरा प्रखण्ड के तारानारी और तेलो के बीच जोरिया नाला पर पूल निर्माण नहीं कराया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित जोरिया नाला तक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दोनों तरफ पहुँच पथ का निर्माण 2013 में कराया जा चुका है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पूल नहीं बनने से बरसात के दिनों में आवागमन बंद हो जाता है, जिससे कई रोगियों की मृत्यु यातायात के अभाव में हो चुकी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पूल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुलों की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2018 / ग्रा0का0 2288 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–2970 वि0स0 दिनांक–07.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2018 / ग्रा0का0 2288 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–123 / 2018 / ग्रा0का0 2288 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(61)

श्री अशोक कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–03 का उत्तरः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा गोड्डा जिलान्तर्गत अनुमंडल मुख्यालय महागामा को नगर पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र) घोषित किया गया है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना सं०–3035, दिनांक–08.06.2018 (गजट अधिसूचना संख्या–589, दिनांक–12.06.2018) द्वारा गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड के 06 पंचायत के 33 राजस्व ग्रामों को मिलाकर महागामा नगर पंचायत का गठन किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि नगर पंचायत (अधिसूचित क्षेत्र) महागामा में विकास कार्यो का संचालन हेतु अभी तक कोई फण्ड नहीं दिया गया है, और न ही वहाँ कार्यपालक पदाधिकारी का पद सृजन कर उन्हें पदस्थापित किया गया है;	स्वीकारात्मक है। महागामा नगर पंचायत के गठन के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या–3503, दि०–09.07.2017 द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर 17 अनुमान्य वार्डों/पार्षदों की संख्या अवधारित की गई है एवं उक्त आलोक में पद सृजन, बजट राशि का आवंटन एवं योजना कार्यान्वियन संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर पंचायत महागामा में विकास कार्यो के लिए फण्ड आवंटित करने एवं उसके संचालन हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को पदस्थापित करने का विचार रखती है ? हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त खण्ड–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–8/तारा०/112/2018/न०वि०आ० 3629 रॉंची, दिनांकः 13/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं० प्र० 2966 वि०स०, दिनांक–07.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में/श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

13.7.18

सरकार के अवर सचिव।

manju/E/Bidhan Shabh Quesn(New)-363

(62)

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–न०–07 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला नगरपालिका अन्तर्गत हेंसाउड़ी वार्ड नं०–8 में एक तालाब है, जिसमें विधायक योजना अन्तर्गत जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है?	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला एक छोटा शहर होने के कारण सुबह–शाम बच्चे, महिला एवं वृद्ध व्यक्तियों के टहलने के लिए कोई पर्याप्त स्थान नहीं है?	अस्वीकारात्मक है। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 02 पार्क है–1. सिद्धु–कान्हु पार्क एवं 02. कुदर साई पार्क।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित तालाब के किनारे पार्क, सौंदर्यीकरण के साथ अन्य सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–05 / न०वि० / तारांकित–29 / 2018 / 3656 **राँची, दिनांकः**– 17/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3163, दिनांक–11.07.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

कौशल 17-7-18

सरकार के अवर सचिव।

Rakesh/F/Vidhan Sabha 2018/26

63

श्री राजकुमार यादव, मा०स०वि०सभा द्वारा दिनांक– 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय–08 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के प्रखण्ड धनवार अन्तर्गत गोरहन्द, चट्टी, धर्मपुर, करगालीखुर्द एवं बोदंगो गांव/पंचायतों के ग्रामीणों को गर्मी में जलस्त्रोत सूखने से पीने के पानी के समस्याओं से घोर संकट का सामना करना पड़ता है;	वस्तुस्थिति यह है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में जलापूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :– (तालिका नीचे) जो विभागीय मानक के अनुरूप पूर्ण आच्छादित है। धनवार प्रखण्ड के पंचखोरी डैम से ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना निर्माण हेतु DPR बनाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पचखोरी डैम में काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है। चूँकि पचखोरी डैम जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित किया गया है अतः जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त उपलब्ध संसाधन एवं क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर योजना की स्वीकृति पर विचार किया जा सकेगा, जिससे पंचायत गोरहन्दा, चट्टी, करगाली खुर्द, बोदगों, धर्मपुर में जलापूर्ति की जा सकगी।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त गाँव/पंचायतों में अब तक ग्रामीण पाईप लाईन जलापूर्ति योजना शुरू नहीं किया गया है;	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि पंचखेरो डैम धनवार से उपर्युक्त गांव/पंचायतों के ग्रामीणों को सुलभ रूप से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए उपर्युक्त स्थल है;	कंडिका – 01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक स्वीकृति देकर उपर्युक्त गाँव/पंचायतों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू वित्तीय वर्ष में शुरू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका – 01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

क्र०	पंचायत	आबादी	कुल चालू चापानल
1.	गोरहन्दा	5419	54
2.	चट्टी	4882	47
3.	करगाली खुर्द	4661	49
4.	बोदगो	4624	41
5.	धर्मपुर	4903	49
	कुल योग	24489	240

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–103/2018– 2947 राँची, दिनांक :– 16/7/18
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक – 3170, दिनांक – 11.07.2018 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–103/2018– 2947 राँची, दिनांक :– 16/7/18
प्रतिलिपि :– उप सचिव/अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिव किशोर मिश्र)
सरकार के अवर सचिव

(64)

श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–14

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती जोबा मांझी, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।**
1 क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर प्रखण्ड के चैनपुर में राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय ''संजय नदी'' के किनारे अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि खुँटपानी प्रखण्ड के लोहरदा पंचायत में स्थित मौजा–केयाडपता (सीमाना) से चैनपुर की दूरी मात्र 1/2 (आधा) कि0मी0 है, किन्तु ''संजय नदी'' पर पुलिया के नहीं होने से वर्षात् में 15 कि0मी0 का फासला तय करना पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि इस पुलिया के निर्माण होने से पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला–खरसाँवा जिले के बीच सेतु का काम करेगी ;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में मौजा–केयाडपता एवं चैनपुर के बीच ''संजय नदी'' पर पुलिया का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चालू वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में एक पुल की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। अगले वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुलों की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–130 / 2018 / ग्रा0का0 2286 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3132 वि0स0 दिनांक–11.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–130 / 2018 / ग्रा0का0 2286 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–130 / 2018 / ग्रा0का0 2286 राँची, दिनांक– 16.07.18

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–06 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)**
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अन्तर्गत चामा, मैक्लुस्कीगंज मुख्य पथ स्थित वन विश्रामागार के पास हरहु परसातरी, नकटा पहाड़ के बगल से कुसुमटोला पतरातू ग्राम होते हुए मदरसा तक जाने वाला पथ का निर्माण ग्रेड–1 पथ बीस वर्ष पूर्व ग्राम अभियंत्रण संगठन के द्वारा हुआ था जिसकी स्थिति काफी खराब होने के कारण लोगों को पैदल चलना मुश्किल है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त पथ में पड़ने वाले कई पुल–पुलियां का निर्माण भी हो चुका है तथा पथ के किनारे बसे हुए दर्जनों गाँवों का विकास, रोड के अभाव में नहीं हो सका है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का कालीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन पथ का प्रारंभिक पथांश (4.55 कि0मी0) का निर्माण पी0एम0जी0एस0 वाई0 के तहत् कराया जा रहा है। शेष पथांश में वन भूमि सन्निहित है। उक्त पथ के निर्माण के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करते हुए विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–650 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2281........राँची, दिनांक...16.07.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3016, दिनांक–08.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–650 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2281........राँची, दिनांक...16.07.18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–650 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2281........राँची, दिनांक...16.07.18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(66)

श्री मनोज कुमार यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–05 का उत्तरः--

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही प्रखण्ड के बरही पूर्वी, बरही पश्चिमी, कोनरा, बेंदगी,, करसों, रसोइया धमना पंचायतों को मिलाकर बरही नगर पंचायत बनाए जाने हेतु हजारीबाग उपायुक्त द्वारा अनुशंसा किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक–241, दिनांक–13.01.2018 द्वारा 05 पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत 09 राजस्व ग्रामों को मिलाकर बरही नगर पंचायत बनाने की अनुशंसा की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण बरही को अबतक नगर पंचायत नहीं बनाया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, हजारीबाग से प्राप्त अनुशंसा त्रुटिपूर्ण है तथा इसमें नगर पंचायत गठन करने हेतु मानक अर्हत्ता यथा गैर कृषि कार्य में संलग्न लोगों का प्रतिशत एवं प्रस्तावित नगर पंचायत के संभावित राजस्व संबंधी वांछित आंकड़े उपलब्ध नही कराये गये है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीघ्र ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर बरही को नगर पंचायत बनाने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय पत्रांक–2479, दिनांक–09.05.2018 एवं पत्रांक–3310, दिनांक–26.06.2018 द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग से गैर कृषि कार्य में संलग्न लोगों का प्रतिशत एवं संभावित राजस्व संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। उपायुक्त, हजारीबाग से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–8/तारा०/113/2018/न०वि०आ० 3636 रॉंची, दिनांकः 16/07/18

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को ज्ञाप सं० प्र० 3141 वि०स०, दिनांक–11.07.2018 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों में/श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, उप सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/18
सरकार के अवर सचिव।

manju/E/Bidhan Shabh Quesn(New)-365

(67)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री केदार हजरा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–21

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री केदार हजरा, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के किसी भी जिले में ग्रामीण पथ के रख–रखाव के लिए पथ निर्माण विभाग के तरह ग्रामीण कार्य मामले विभाग में गैर योजना मद में अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के जिले में गैर योजना मद की राशि ग्रामीण कार्य मामले विभाग में नहीं रहने से पथ जर्जर हो जाने पर तुरंत मरम्मति नहीं हो पाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पथ निर्माण विभाग की तरह ग्रामीण कार्य मामले विभाग में भी हर जिले को कार्यपालक अभियंता के अधीन गैर योजना मद में राशि उपलब्ध करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में कार्यपालक अभियंता के अधीन गैर योजना मद में पथ निर्माण विभाग की तरह राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बजटीय उपबंध अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर राशि उपलब्ध करायी जाती है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–684 / 18 ग्रा0का0मा0......2285..........राँची / दिनांक–16.07.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3160, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–684 / 18 ग्रा0का0मा0......2285..........राँची / दिनांक–16-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग / झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–684 / 18 ग्रा0का0मा0......2285..........राँची / दिनांक–16-07-18

प्रतिलिपि–प्रशांखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(68)

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–02 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री भानु प्रताप शाही, माननीय स0वि0स0	**श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)**
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अन्तर्गत रमुना से सिलीदाग, बुलका होते हुए धुरकी तक तथा डंडई से रारो तक आज से 15 वर्ष पहले पथ निर्माण विभाग के द्वारा सड़क बनाया गया था;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक मरम्मति नहीं कराया गया, जिससे सड़क जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हो गया है एवं आये दिन सड़क दुर्घटना में काफी बढ़ोतरी हो रही है तथा ग्रामीणों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित सड़क को नये सिरे से बनाने का विचार रखती है या नहीं ? यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?	विषयांकित पथों के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–687 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2284.....राँची, दिनांक...16-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–2977, दिनांक–07.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–687 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2284.....राँची, दिनांक...16-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–687 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)...2284.....राँची, दिनांक...16-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(69)

मा0, स0वि0स0, श्री अमित कुमार मण्डल द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि राधेश्याम माँझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रा0वि0 (ग्रा0का0मा0) कार्य प्रमण्डल–साहेबगंज के विरूद्ध गठित प्रपत्र–"क" प्रेषण हेतु विभागीय पत्रांक–04 (आरोप–6)–555 / 17 ग्रा0का0वि0–1258 (अनु0) दिनांक 24.04.2018 को कार्यपालक अभियंता के पैत्रिक विभाग, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची के संयुक्त सचिव को कार्यवाई हेतु प्रेषित की गई है। जिसका विभागीय मंत्री से भी अनुमोदन प्राप्त है;	स्वीकारात्मक ।
2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र "क" के साथ अन्य कठोर विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	श्री राधेश्याम मांझी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, गोड्डा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामिण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) कार्य प्रमण्डल, साहेबगंज के विरूद्ध गठित प्रपत्र–'क' पर श्री मांझी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है । झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम 17(4) [जिसमें आरोपी से सर्वप्रथम स्पष्टीकरण करने का प्रावधान है] के आलोक में श्री राधेश्याम मांझी से स्पष्टीकरण किया गया । श्री मांझी का स्पष्टीकरण दिनांक 13.07.2018 को प्राप्त हो गया है, जिसकी समीक्षा की जा रही है । समीक्षोपरांत श्री मांझी के संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–76 / 2018 4118(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2979 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–76 / 2018 4118(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित् ।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

70

श्री भानु प्रताप शाही, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–पेय–01 का उत्तर :–

<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी नगर पंचायत क्षेत्र में होने के बावजूद भी पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है;</td><td>स्वीकारात्मक।
अधिसूचना संख्या–1370 दिनांक–17.04.2015 (गजट अधिसूचना संख्या–238 दिनांक–21.04.2015) द्वारा नगर उंटारी नगर पंचायत का गठन किया गया। नवगठित निकाय में दिनांक–16.04.2018 को प्रथम निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। सम्प्रति निकाय बोर्ड से पेयजल आपूर्ति हेतु योजना का प्रस्ताव अप्राप्त है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति नहीं होने के चलते नगर पंचायत वासियों को काफी दिक्कत हो रही है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
नगर उंटारी नगर पंचायत वासियों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्न राशि आवंटित की गयी है:–
<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>स्वी० संख्या एवं दिनांक</th><th>राशि</th><th>प्रयोजन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>06 / 21.04.2016</td><td>5,00,000</td><td>टैंकर से जलापूर्ति</td></tr>
<tr><td>2</td><td>06 / 21.04.2016</td><td>15,00,000</td><td>चापानल मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु</td></tr>
<tr><td>3</td><td>88 / 01.08.2016</td><td>15,00,000</td><td>चापानल मरम्मति एवं जीर्णोद्धार हेतु</td></tr>
<tr><td>4</td><td>06 / 21.04.2016</td><td>20,00,000</td><td>चापानल एवं अन्य जलापूर्ति संरचनाओं की मरम्मति हेतु</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नगर पंचायत वासियों को पाईप लाईन द्वारा पेयजल आपूर्ति कराने का विचार रखती है या नहीं, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?</td><td>निकाय बोर्ड से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नगर उंटारी नगर पंचायत क्षेत्र में पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन, निकाय का सर्वे, जलस्रोत की उपलब्धता आदि से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराकर पाईप लाईन द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।</td></tr>
</table>

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / वि०स० / तारांकित / पेय–01 / 31 / 2018 / न०वि०आ० 3660 **राँची, दिनांक:**–17/07/18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–2969, दिनांक–07.07.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, विभागीय उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.7.18

सरकार के अवर सचिव।

(71)

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–07 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के गोविन्दपुर प्रखण्ड अन्तर्गत चरकपथर मोड़ से विराजपुर भाया पतिकडीह–नायाडीह पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण अति आवश्यक है;	आंशिक स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पथ गोविन्दपुर प्रखण्ड के तीन पंचायतों यथा, कुलबेड़ा, विराजपुर एवं आसनबनी 1 को जोड़ती है तथा पथ के संकीर्ण होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी असुविधा होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	चालू वित्तीय वर्ष में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं प्रखण्डवार प्राथमिकता क्रमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–685 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2318.......राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3020, दिनांक–08.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–685 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2318.......राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–685 / 18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)....2318.......राँची, दिनांक...17-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(17)

श्री फूलचन्द मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–07 की पूरक सामग्री :–

- प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई लगभग 5.00कि0मी0 है, जिसकी चौड़ाई 3.05 मी0 है।
- प्रश्नाधीन पथ में यातायात का दबाब काफी है।
- प्रश्नाधीन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य की आवश्यकता है, जिसकी मरम्मति में लगभग 190 लाख की लागत आ सकती है।

(72)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला
तारांकित प्रश्न सं0 पथ–09

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1 क्या यह बात सही है कि गढ़वा विधान सभा की कई सड़कों और पुल निर्माण जैसे–चिनिया प्रखंड के मसरा से खुरी तक सड़क, रमकंडा के कुरूमदरी गांव के भूतहर नदी पर पुल का निर्माण कार्य नक्सली आतंक की काली साया पड़ने के कारण वर्षों से अधूरा पड़ा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नक्सली आतंक पर प्रहर करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थानों पर सालों से बंद पड़े सड़क और पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ करने विचार रखती है?	खण्ड–1 में वर्णित पथ के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी। खण्ड–1 में वर्णित पुल का पुनरीक्षित डी0पी0आर0 तैयार कराया गया है। बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132 / 2018 / ग्रा0का0 2319 राँची, दिनांक–17-07-18 प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3127 वि0स0 दिनांक–12.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132 / 2018 / ग्रा0का0 2319 राँची, दिनांक–17-07-18 प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/18
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–132 / 2018 / ग्रा0का0 2319 राँची, दिनांक–17-07-18 प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/18
सरकार के उप सचिव

(73)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री चम्पाई सोरेन द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–20

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के राजनगर प्रखण्ड अन्तर्गत मुड़ियापाड़ा से गुढ़ा (भाया कृष्णापुर) तक पथ निर्माण की स्वीकृति वर्ष 2012–13 (Phase-XII) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत की गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ काफी जर्जर अवस्था में है। जिसके कारण आवागमन में आम जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	क्षतिग्रस्त पथांश की मरम्मति करायी जा रही है। नवम्बर, 2018 तक पथांश को पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–682 / 18 ग्रा0का0मा0 2316 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3159, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–682 / 18 ग्रा0का0मा0 2316 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–682 / 18 ग्रा0का0मा0 2316 राँची / दिनांक– 17.07.18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(74)

श्री अमित कुमार मंडल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक- 18.07.18 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-भ0-01 का उत्तर प्रतिवेदनः-

क्रम सं0	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला अन्तर्गत 20 सूत्री प्रभारी मंत्री की उपस्थिति में "दिशा" की बैठक में निविदा सं0- 07/2017-18 भवन निर्माण विभाग, कार्यपालक अभियंता द्वारा निविदा निस्तारण में अनियमितता बरते जाने का मामला जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाया गया था,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-271/जि0यो0 दिनांक- 10.12.2017 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, अंचल दुमका द्वारा नगर थाना गोड्डा में प्राथमिकी संख्या-257/2017 दिनांक-09.12.2017 दर्ज करायी गई है,	स्वीकारात्मक। उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक-265/जि.यो., 266/जि.यो. दिनांक-07.12.2017 के आलोक में नगर थाना गोड्डा में प्राथमिकी संख्या- 257/2017 दिनांक-09.12.2017 दर्ज करायी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि कई माह बीत जाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता, गोड्डा अपने पद पर बने हुए हैं।	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई अनियमितता बरतने वाले कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध नहीं की गई है,	आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक-1322(भ0), दिनांक-06.07.2018 द्वारा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका से कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा के द्वारा विभागीय प्रावधानों के विपरीत किये गये कृत्य के संबंध में एक तथ्यपरक प्रतिवेदन एवं उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई के बिन्दु पर अनुशंसा/मंतव्य की मांग की गई है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभाग के कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यो?	अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, दुमका से प्रस्ताव/मन्तव्य प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

16/7/2018

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार,
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः-भ0-3-विधायी (ता0प्र0)-19/18 1383(अ) राँची, दिनांकः- 16-7-18

प्रतिलिपिः- श्री शरद सहाय, अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक-2975 दिनांक-07.07.2018 के संदर्भ में (दो सौ प्रतियों में) सूचनार्थ प्रेषित।

16/7/18

उप सचिव,
भवन निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(77)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० प्रो0 जयप्रकाश वर्मा द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–11

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलांतर्गत बेंगाबाद प्रखण्ड के बहादुरपुर मोड़ से विशनपुर मोड़ तक रोड मरम्मति का कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही जर्जर हो गया;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मरम्मति कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं किये जाने का शिकायत मेरे द्वारा एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा लिखित एवं दूरभाष से कार्यपालक अभियंता REO गिरिडीह को लगातार सूचना दी गयी थी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उपर्युक्त मरम्मत किये गये पथ को पुनः मजबूती से निर्माण कराने एवं संवेदक को काली सूची में डालने की मंशा सरकार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	पथ की मरम्मति कराने का निदेश संबंधित संवेदक को दिया गया है। विषयांकित पथ की जांच हेतु विभागीय स्तर पर एक टीम का गठन कर दिया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधितो के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–666 / 18 ग्रा0का0मा0 2277 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3053 दिनांक– 09.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–666 / 18 ग्रा0का0मा0 2277 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–666 / 18 ग्रा0का0मा0 2277 राँची / दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(78)

श्री फुलचन्द मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं०–न०–04 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद क्षेत्र अन्तर्गत धनबाद–बरवाअड्डा पथ से हिन्दुस्तान पथ होते हुए आई०एस०एम० गेट तरफ पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;	स्वीकारात्मक है। धनबाद नगर निगम द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित जर्जर पथ की मरम्मति के लिए निविदा की गयी है। वर्षा ऋतु के बाद B.M. & S.D.B.C. (Bituminous Macadam & Semi Dense Bituminous Concrete) तकनीक से सड़क कालीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत हीरक रोड गोल बिल्डींग पथ से सुसनीलेवा कमल कटेसरिया होते हुए दीनानाथ सिंह के घर तक पथ की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है;	स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत सड़क के जीर्णोद्धार योजना हेतु 53.895 लाख रू० का प्राक्कलन तैयार कराया गया है। इस पर निगम बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त कर इसके कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड 1 एवं 2 में वर्णित पथों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05 / न०वि० / तारांकित–26 / 2018 / 3663 **राँची, दिनांक**:– 17/07/18

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3024, दिनांक–08.07.2018 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा, विभागीय उप सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.7.18
सरकार के अवर सचिव।

Rakesh/F/Vidhan Sabha 2018/31

श्री साधु चरण महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पथ–18, प्रश्नोत्तर :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री साधु चरण महतो, माननीय स०वि०स०	श्री अमर कुमार बाउरी, माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला अन्तर्गत गुजरने वाली एन०एच०–32 सड़क का चौड़ीकरण हेतु जमीन का स्वरूप बदलने हेतु प्रदेश के सभी उपायुक्तों को वर्ष–2016 में ही निर्देश दिया गया था परन्तु अबतक अधिग्रहण हो रहे जमीन का स्वरूप के अनुसार ही काफी कम व पुराने दर पर ही किया जा रहा है जिससे देशहित में अपने भूमि न्योछावर करने वाले रैयतों में काफी आक्रोश है ;	सरायकेला–खरसावाँ जिला अंतर्गत गुजरने वाली NH-32 सड़क का चौड़ीकरण हेतु जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–NH-32 कर फॉरलेन/चौड़ीकरण नीमडीह एवं चाण्डिल अंचलान्तर्गत मौजा–आदरडीह एवं 14 अन्य मौजा का रैयती भूमि का भू–अर्जन हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1956 की धारा–3(A) के अंतर्गत अधिसूचना की तिथि–24.07.2015 एवं धारा–3(D) के अंतर्गत अधिघोषणा की तिथि दिनांक–07.04.2016 है। इसलिए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के प्रासंगिक पत्रांक–606, नि०रा० राँची, दिनांक–08.08.2016 इस परियोजना पर लागू नही हो रहा है। क्योकि विभागीय आदेश की तिथि के पूर्व ही अधिसूचना एवं अधिघोषणा स्वीकृत हो चुका है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में सरायकेला–खरसावाँ जिलाअंतर्गत गुजरने वाली एन०एच०–32 सड़क का चौड़ीकरण हेतु जमीन का अधिग्रहण के मुआवजा का वितरण नये व बाजार दर से करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका –1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन एवं भू–अभिलेख निदेशालय)

ज्ञापांक–8बी/भू०अ०नि०, वि०स० (तारां०)–106/2018..403../नि०रा०, राँची, दिनांक–17-07-18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञाप संख्या–3165/वि०स०, दिनांक–11.07.2018 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रति (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.7.18
सरकार के उप सचिव।

C:\Users\win 8\Desktop\Vidhanshabha Quastion.docx (Hema)

(80)

मा0, स0वि0स0, श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–10 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1. क्या यह बात सही है कि डाल्टेनगंज से गढ़वा को जोड़ने वाली पथ एवं छत्तीसगढ़ से गढ़वा को जोड़ने वाले पथ के उपर टण्डवा एवं गढ़वा के बिच में सकरा एवं लो लेबल ब्रिज होने की वजह से प्रत्येक दिन छः से आठ घंटा आवागमन बाधित रहता है ; 2. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गढ़वा मुख्यालय अन्तर्गत टण्डवा एवं गढ़वा के बिच (हाई लेबल) उच्चस्तरीय ब्रिज बनाकर आवागमन सुलभ कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	डालटनगंज से गढ़वा तथा गढ़वा से छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सड़क दो लेन सड़क है, तथा प्रश्नांकित पुल की चौड़ाई 6.45 मी0 है जिसपर दो लेन में गाड़ियों के आवागमन में कोई कठिनाई नहीं है । पुल राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 343 पर अवस्थित है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–85 / 2018 4117(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3130 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–85 / 2018 4117(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

(81)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री आलमगीर आलम द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–16

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री आलमगीर आलम, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में संविदा के आधार पर नियुक्त 77 कनीय अभियंता एवं 27 सहायक अभियंता जे0एस0आर0आर0डी0ए0 के अधीन पदस्थापित हैं, जिनकी मासिक वेतन क्रमशः 29,055/– एवं 31,611/– रू0 है, जबकि बिहार में मासिक वेतन क्रमशः 48,000/– एवं 55,000/– रू0 है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार एवं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में संविदा में कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों की सेवा 60–वर्षो तक सूनिश्चित कर दिया गया है, जबकि झारखण्ड में प्रत्येक वर्ष अवधि विस्तार किया जाता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संविदा के आधार पर नियुक्त 77 कनीय अभियंता एवं 27 सहायक अभियंता को बिहार एवं मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की तरह इनकी सेवा 60–वर्षो तक सूनिश्चित कर मासिक वेतन बिहार के समरूप देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो?	जे0एस0आर0आर0डी0ए0 में संविदा के आधार पर अभियंताओं की नियुक्ति आवश्यकता आधारित है। आवश्यकता के अनुसार अवधि विस्तार किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–677/18 ग्रा0का0मा0 2310 राँची/दिनांक– 17-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3136, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–677/18 ग्रा0का0मा0 2310 राँची/दिनांक– 17-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–677/18 ग्रा0का0मा0 2310 राँची/दिनांक– 17-07-18

प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/07/18

सरकार के उप सचिव।

(83)

मा0, स0वि0स0, श्री दशरथ गागराई द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – **1.** क्या यह बात सही है कि खरसावां–सरायकेला पथ (MDR) में अभिजीत कम्पनी के पास बने पुल का एप्रोच रोड विगत 4 सालों में पूर्ण नहीं हो पाया है ; **2.** क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पुराने पुल में बारिश के दिनों में पुल के ऊपर से पानी बहने से आवागमन ठप हो जाता है ; **3.** यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त एप्रोच रोड को पूर्ण करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	पुल निर्माण कार्य भौतिक रूप से पूर्ण हो चुका है । खरसावां तरफ के एप्रोच पथ का कार्य भी पूर्ण हो चुका है एवं सरायकेला तरफ के एप्रोच पथ का कार्य भू–अर्जन की राशि में बढ़ोत्तरी होने के कारण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सरायकेला– खरसावां द्वारा मौजा–गोविन्दुपर में रूपये 29,49,694.00 (उनतीस लाख उनचास हजार छः सौ चौरानबे) अतिरिक्त राशि की मांग की गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में उपरोक्त राशि को सम्मिलित करते हुए तकनीकी एवं प्राशासनिक स्वीकृति हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन समर्पित है । स्वीकृति उपरांत कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–89 / 2018 4123(5) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3167 दिनांक 11.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : प0नि0वि0–11–ता0प्र0–89 / 2018 4123(5) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18
सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(84)

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–19 की उत्तर सामग्री :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
1. क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड के लाभर पिकेट से कोरवा मड़ईचुगरू तक पथ का निर्माण नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि बरवाडीह प्रखण्ड के चमरडीहा–पुटुवागढ़, चमरडीहा लंका मुख्य सड़क बरवाडीह बाजार का मुख्य सड़क, बभनडीह, चपरी, खुरा, छेन्चा, उक्कामोड़ तक सड़क की स्थिति एकदम ही जीर्ण–शीर्ण है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3. क्या यह बात सही है कि उपर वर्णित खण्ड–2 के पथों का निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ है;	स्वीकारात्मक
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर वर्णित खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित पथों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नाधीन खण्ड–I का पथ वन क्षेत्र में पड़ता है। खण्ड–I एवं II पथों के संबंध में मा0स0वि0स0 से अनुशंसा प्राप्त होने पर वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरांत विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–679/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......2282...राँची, दिनांक..16-07-18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके पत्रांक–3137, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–679/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......2282...राँची, दिनांक....16-07-18

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–679/18 ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0)......2282.राँची, दिनांक...16-07-18

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

(85)

मा0, स0वि0स0, श्री कुणाल षडंगी द्वारा दिनांक 18.07.2018 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ--04 का उत्तर प्रतिवेदन :--

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -- **1.** क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के प्रखण्ड--बहरागोरा के पाथरा बांसदा रोड, मोटेल चौक से गंडानाटा रोड, जाथा चौक से मुटुरखाम रोड एन0एच0--6 से चित्रेश्वर होते हुए बंगाल सीमा तक रोड अत्यंत जर्जर और अति महत्वपूर्ण है ; **2.** क्या यह बात सही है कि मेरी अनुशंसा के बाद भी आज तक उपर्युक्त पथों का ना तो चौड़ीकरण हुआ ना तो सुदृढ़ीकरण किया गया है ; **3.** यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इन पथों का चालू वित्तीय वर्ष में सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का स्वीकृति प्रदान कर कार्यान्वित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	एन0एच0--33 (बांसदा) से पथरा पथ का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग के पास है । पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु निविदा आमंत्रित की गई है । शेष तीनों पथों का स्वामित्व ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के पास है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : प0नि0वि0--11--ता0प्र0--79 / 2018 4121(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः-- अवर सचिव, झारखण्ड विधान--सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 2978 दिनांक 07.07.2018 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

ज्ञापांक : प0नि0वि0--11--ता0प्र0--79 / 2018 4121(S) राँची / दिनांक : 16/07/18

प्रतिलिपिः-- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य), झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

16/7/18

सरकार के उप सचिव।
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।
16.7.18

श्रीमती सीमा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–18.07.18 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–12

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती सीमा देवी, माननीय स0वि0स0	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग।
1 क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत सिल्ली विधान सभा क्षेत्र के चोकेसोरेंग पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष 2004–05 में किया गया है एवं उक्त पुल उद्घाटन के पहले ही टूट गया है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल का निर्माण में दोषियों पर कार्रवाई अब तक लंबित है एवं उक्त पुल का निर्माण भी अब तक नहीं किया गया है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार दोषियों पर कार्रवाई के साथ उक्त पुल का निर्माण वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण कार्य में संलग्न पदाधिकारियों/संवेदक पर कार्रवाई हेतु ग्रामीण विकास प्रभाग से अनुरोध किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में माननीय स0वि0स0 से प्रश्नांकित पुल की अनुशंसा प्राप्त होने पर बजटीय उपबंध एवं विभागीय नीति के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कारवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)।

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–129/2018/ग्रा0का0 2287 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– अंवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3133 वि0स0 दिनांक–11.07.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आसिफ हसन)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–129/2018/ग्रा0का0 2287 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 7 (वि0स0)–129/2018/ग्रा0का0 2287 राँची, दिनांक– 16-07-18

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

(87)

दिनांक–18.07.18 को माननीय स०वि०स० श्री मनोज कुमार यादव द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–15

	प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता
	श्री मनोज कुमार यादव, माननीय स०वि०स०	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)।
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के जी0टी0 रोड से वरियठा तथा करियातपुर से धनवार और चौपारण प्रखण्ड के पी0डब्ल्यू0डी0 रोड रूपिन से बेला पथ अत्यंत ही जर्जर है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित पथों कि मरम्मति लोकहित के लिए अति आवश्यक है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शीघ्र ही खंड–1 में वर्णित तथों की मरम्मति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–676 / 18 ग्रा0का0मा0........2276........राँची / दिनांक–.....16-07-18
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झा0वि0स0 सचिवालय को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3134, दिनांक–11.07.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–676 / 18 ग्रा0का0मा0........2276........राँची / दिनांक–.....16-07-18
प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–676 / 18 ग्रा0का0मा0........2276........राँची / दिनांक–.....16.07.18
प्रतिलिपि–प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

16/07/18

सरकार के उप सचिव।